

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प / पैरा / ई0सी0जी0 / 10 / 2019

देहरादून: दिनांक-24 जून, 2019

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1,	श्री रोहित कुमार।	ई0सी0जी0टैक्नीशियन।	एल0डी0भट्ट चिकित्सालय काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।	दून चिकित्सालय देहरादून।	निजी अनुरोध।

- 1— सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2— उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश रवैकृत न किया जाये।
- 3— स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4— दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5— निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6— उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प / पैरा / ई0सी0जी0 / 10 / 2019 | 12 380

तददिनांकित।

- 1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3— मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर/देहरादून।
- 4— प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, एल0डी0भट्ट चिकित्सालय काशीपुर, ऊधमसिंहनगर/दून चिकित्सालय देहरादून।
- 5— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/देहरादून।
- 6— सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 7— गार्ड फाईल।

(वी0के0 नाटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा०)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा०/सहा०नर्सि०/15/2019/

देहरादून: दिनांक- २५ जून, 2019

—: आदेश :—

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित उपचारिका संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती आशा रानी शर्मा	सहायक नर्सिंग अधीक्षिका	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	राजकीय संयुक्त चिकित्सालय रुड़की (31 जुलाई, 2019 को श्रीमती उषा श्रीवास्तव, ए०एन०एस० की सेवा निवृत्ति के पश्चात रिक्त होने वाले पद के सापेक्ष)	निजी अनुरोध

- 1— सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2— उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3— स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4— दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5— निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6— उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा०/सहा०नर्सि०/15/2019/ 12386

तददिनांकित।

- 1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3— मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
- 4— प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी/संयुक्त चिकित्सालय रुड़की हरिद्वार।
- 5— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
- 6— सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 7— गार्ड फाईल।

(वी०क० नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा०)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
 पत्र संख्या-3प /पैरा०/सहा०नर्सिंग/15/2019/

देहरादून: दिनांक— 24 जून, 2019

—: आदेश :—

शासनादेश संख्या-30 /XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित उपचारिका संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अम्बुजित
1	2	3	4	5	6
3.	श्रीमती तबस्सुम नेगी।	सहायक नर्सिंग अधीक्षिका	बी०डी०पाण्डे चिकित्सालय पिथौरागढ़।	जी०बी०पन्त नैनीताल।	चिकित्सालय निजी अनुरोध

- 1— सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2— उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3— स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4— दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5— निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6— उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प /पैरा०/सहा०नर्सिंग/15/2019/ 12386

तददिनांकित।

- 1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- 3— मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 4— प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, बी०डी०पाण्डे जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़/जी०बी०पन्त चिकित्सालय नैनीताल।
- 5— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 6— सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 7— गार्ड फाईल।

(वी०क०० नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा०)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा०/सहा०नर्सिंग/15/2019/

देहरादून: दिनांक- २५ जून, 2019

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित उपचारिक संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
2.	श्रीमती बैजयन्ती माला	सहायक नर्सिंग अधीक्षिका	सोबन सिंह जीना बैस चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल।	जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय ऊधमसिंहनगर।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा०/सहा०नर्सिंग/15/2019/ 12384

तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
- 4- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, सोबन सिंह जीना बैस चिकित्सालय हल्द्वानी/जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय ऊधमसिंहनगर।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 7- गार्ड फाईल।

(वी०क० नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा०)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्र संख्या-३प/पैरा०/सहा०नर्सिंग/15/2019/

देहरादून: दिनांक- २१/६/१९

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-३०/XXX-२/२०१८-३०(१३)२०१७, दिनांक-०६.०२.२०१८ में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र २०१९-२० हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित सहा० नर्सिंग अधीक्षिका संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-०४ से कॉलम संख्या-०५ में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सीता शर्मा अधीक्षिका	सहा० नर्सिंग उत्तरकाशी	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	जिला चिकित्सालय, हरिद्वार	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के ०१ सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-२००३ के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-३प/पैरा०/सहा०नर्सिंग/15/2019/ १२३९०

तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
- 4- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी / जिला चिकित्सालय, हरिद्वार।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 7- गार्ड फाईल।

(वी०के० नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा०)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
 पत्र संख्या-3प / पैरा० / सहा०नर्सिंग / 15 / 2019 / देहरादून: दिनांक- २४ जून, 2019

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30 / XXX-2 / 2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित उपचारिका संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती रेखा रानी	सहायक नर्सिंग अधीक्षिका	जी०बी०पन्त चिकित्सालय नैनीताल।	क्षयरोगाश्रम भवाली, नैनीताल।	निजी अनुरोध

- 1— सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुगालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2— उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3— स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4— दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5— निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6— उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प / पैरा० / सहा०नर्सिंग / 15 / 2019 / 12382

तददिनांकित।

- 1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- 3— मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- 4— प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षिका, जी०बी०पन्त चिकित्सालय नैनीताल/क्षयरोगाश्रम भवाली नैनीताल।
- 5— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 6— सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 7— गार्ड फाईल।

(वी०के० नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा०)